Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर को बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी 2 लाईन मार्ग निर्माण एवं उन्न्यन हेतु रकबा 5.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 4.440 हे. एवं संरक्षित वन 1.090 हे.) वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 28 -08-2021

Place : Raipur

28.8.21

Name - Prem Kumar

Designation - Secretary,

C.G. Govt.,

Forest & Climate Change Department

PREM KUMAR
Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Forest & Climate Change Dept.
Mantralaya Mahanadi Bhawan
Nawa Raipur, Atal Nagar

छत्तीसगढ़ शासन

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–23/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर दिनांक 01-9-/08/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़, – 492015।

विषयः– **Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation Act. 1980 proposel for widening & upgradation to 2 lane of Lohara Rengadabri junnapani Chowki Road area 5.530. regarding.**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–683 /1899, दिनांक 10.08.2021 ।

––00––

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	**आवेदक विभाग का मांग पत्र –** आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर द्वारा बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत 5.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 4.44 हे. एवं संरक्षित वन 1.090 हे.) लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	1 – 10
2	**प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) –** वनमंडलाधिकारी कोरबा द्वारा रजिस्ट्रेशन क्र. FP/CG/Road/24943/2017 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 11.06.2017 के आधार पर की जाती है। पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29000 रूपये जमा कराया गया है।	11 – 13
3	**वन क्षेत्र का विवरण –** बालोद जिले के बालोद वन मंडल अंतर्गत 5.530 हे. वन भूमि (आरक्षित वन 4.44 हे. एवं संरक्षित वन 1.090 हे.) लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।	14
4	**गैर वन क्षेत्र का विवरण –** प्रस्तावित परियोजना में 2.120 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है। विवरण प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	15
5	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर–** प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	16 – 20

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
6	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप –** वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	21 – 32
7	**प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव –** प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 5.530 हे. वन भूमि के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 11924.928 लाख़ बतायी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.5 तक है।	33 –40
8	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप–** बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि हेतु प्रस्ताव का Executive summary संलग्न संलग्न है।	41 – 64
9	**वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	65 – 67
10	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र–** प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि हेतु वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।	68
11	**पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र –** पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं इस हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की प्रति संलग्न है।	69 – 75
12	**वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र–अ एवं ब में) –** आवेदित क्षेत्र में 1691 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है।	76 –129
13	**कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस –** प्रस्तावित परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न है।	130 – 139
14	**चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र –** प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु गैर वन भूमि/निजी भूमि प्रस्तावित नहीं है।	140
15	**गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा –** गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा संलग्न है।	141
16	**स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना –** आवेदित वन भूमि 5.530 हे. के एवज में नारंगी वन क्षेत्र कामता, खसरा क्रमांक 11/01 में 11.060 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय परियोजना प्रतिवेदन संलग्न है। वनमंडलाधिकारी, बालोद के प्रतिवेदन अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी क्षेत्र कार्य आयोजना में सम्मिलित नहीं है।	142 – 178
17	**वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र –** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।	179 –181
18	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण –** वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	182
19	**अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण –** वनमंडलाधिकारी दुर्ग वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः उल्लंघन के लिए विभाग का कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।	183

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
20	**अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही –** बालोद जिले के बालोद वनमंडल अंतर्गत प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	184
21	**वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित परियोजना के लिए गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तदाशय का वनमंडलाधिकारी, बालोद एवं आवेदक विभाग का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	185
22	**कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान –** प्रस्तावित परियोजना मार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं होगा। अतः कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान आवश्यक नहीं है।	186
23	**रिक्लेमेशन प्लान –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	187
24	**माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) –** प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	188
25	**व्यवस्थापन प्लान –** प्रस्तावित क्षेत्र में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	189
26	**वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) –** भाग–2 पर वनमंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल द्वारा दिनांक 08.04.2021 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वनमंडलाधिकारी बालोद वनमंडल के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा दिनांक 17.06.2021 से प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।	190 – 204
27	**ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र –** व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है वनमंडलाधिकारी बालोद वनमंडल एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	205
28	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** प्रस्तावित लोहारा–रेंगाडबरी–जुनवानी–चौंकी मार्ग दोहरणीकरण के 5.530 हे. वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले ग्राम एवं ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रगाण पत्र की प्रति संलग्न है।	206 – 210
29	**जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) –** दुर्ग जिले का कुल वन भूमि 862.923 वर्ग कि.मी. है।	211
30	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में –** बालोद जिले के बालोद वनमंडल में 12 प्रकरणों में 688.653 हे. वन भूमि प्रभावित हुई है।	212
31	**व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में –** जिला बालोद के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत इस केटेगरी (श्रेणी) के कोई भी प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है।	213

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
32	**प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी–** प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. के परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य स्थित नहीं है अथवा प्रस्तावित भी नहीं है। वनमंडलाधिकारी बालोद वनमंडल का एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	214
33	**15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन –** खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।	215
34	**वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.09.2019 के अनुक्रम में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	216 – 220
35	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र –** राजस्व विभाग के अंतर्गत राजस्व वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	221 – 222
36	**माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।	223 – 224
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2 nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	225 – 227
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** इस क्षेत्र में बायोटाईट सिस्ट, क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पायी जाती है। वन मंडलाधिकारी, बालोद एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	228 – 230
39	**परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र –** वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल के प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित मार्ग की किसी भी प्रकार की भूमि पर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, प्रस्तावित परियोजना का कार्य वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति जारी होने पर ही किया जायेगा।	231
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।	232
41	**पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण –** बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।	233 – 234
42	**वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत –** प्रभावित 5.530 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, प्रभावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि पर किसी भी प्रकार का वन्यप्राणी प्रभावित नहीं हो रहा है। इस कारण से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवाश्यकता नहीं है।	235
43	**विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण –** प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का वनमंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।	236
44	**प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण –** अन्य कोई अतिरिक्त अभिलेख संलग्न नहीं है।	237 – 289

क्रमशः 5

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्नः – प्रस्ताव 1 प्रति में।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ–5–23/2021/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 01-9-/08/2021

प्रतिलिपिः–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ,।
2.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3.वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल छत्तीसगढ़ ।
4.आवेदनकर्ता, परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

D/FCA/ Latter-N/Lalit